

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उत्तर प्रदेश

12 March  
कर्मिक संख्या 3389  
दिनांक 19/3/24  
लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2024

संख्या: सी-75 /ई-1.

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-84/22015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक 22.12.2015 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक 24.11.2017 में निहित प्राविधानों एवं कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख कालम-4 पर अंकित खण्ड/कार्यालय का द्वैत कार्यभार शासन स्तर से नियमित पदस्थापना होने तक, नितान्त कामचलाऊ व्यवस्थान्तर्गत सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्वारा निर्गत किये जाते हैं:-

क्र० सं०	अधिशासी अभियन्ता का नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद सर्वश्री:-	वर्तमान तैनाती	द्वैत कार्यभार
1	2	3	4
1.	संतोष कुमार 01.06.67 / गाजीपुर	स्टाफ अधि० (अधि०-६), का० प्र० अधि०, लखनऊ	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर का अतिरिक्त प्रभार
2.	शोभित कुमार कुशावाहा 19.09.82 / गोरखपुर	स्टाफ अधिकारी (सूचना / अनुभवण), वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, केन बेतवा लिंक नहर (परिकल्प एवं नियोजन), लखनऊ	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ सिंचाई खण्ड, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी का अतिरिक्त प्रभार
3.	सुभाष चन्द्र 06.06.1970 / बिजनौर	यमुना लिंक चैनल निर्माण खण्ड, सहारनपुर	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर का अतिरिक्त प्रभार
4.	शालिनी कौशल 19.02.80 / लखनऊ	सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ मुजफ्फरनगर खण्ड, गंगा नहर, मुजफ्फरनगर का अतिरिक्त प्रभार

इस निमित्त उपरोक्त अधिशासी अभियन्ताओं को कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।  
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अनिल कुमार  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

संख्या: सी-75 /ई-1/तदिनांक 12/03/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-84/22015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक-22-12-15 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक-24-11-2017 के अन्तर्गत उक्त किये गये आदेश का औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
3. सम्बंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०।
4. सम्बंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जांच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर केन्द्र), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
8. प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।

12/03/24, DS-7

12/03/24  
(दीपक कुमार)

मुख्य अभियन्ता (कर्मिक-1/3)